न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/199/2006/उदयपुर

हीरा दत्तक पुत्र किशना उर्फ कना उर्फ कसना प्राकृतिक पुत्र उदा डांगी निवासी ढावा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।

——अपीलांट

बनाम

1— हरजी पुत्र वसा
2— जगा पुत्र वसा
3— हमेरा पुत्र उदा
4— पेमा पुत्र उदा
समस्त जाति डांगी निवासी ढावा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर
5— राजस्थार सरकार जरिए तहसीलदार वल्लभनगर
6— श्रीमति रोडी पुत्र वसा डांगी निवासी ढावा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।

——रेस्पोडेंट्स

खण्डपीठ

श्री आर.डी. मीणा, सदस्य

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः—

श्री सम्पत लाल बोहरा ,अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अजीत लोढ़ा, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स की ओर से

निर्णय

दिनांकः 27—02—2023

यह अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 88/2005 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/विपक्षी सं0 1 व 2 ने एक राजस्व वाद इस आशय का पेश किया गया कि वादी/विपक्षी सं0 1 व 2 व मौजूदा अपीलांट आपस में काका बाबा में भाईबंध है जिनके मूल पुरूष अमराजी थे जिनके पुत्र देवाजी व देवाजी के चार पुत्र डूंगा, टीला, उदा, बरदा इनमें से टीला व उदा लाऔलाद फौत हुए इस कारण वादग्रस्त आराजी जो ग्राम ढावा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर में स्थित है जो वाद में दिए गए परिशिष्ट क व ख में अंकित है में वादी को आधे हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने व साथ ही बंटवारा कराया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया। मौजूदा अपीलांट ने अपना

प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर वादी के कथनों से इंकार किया साथ ही काउन्टर क्लेम पेश कर वाद को खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर ने अपने निर्णय/डिक्री दिनांक 24–05–2004 द्वारा वादी का वाद एवं प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत काउण्टर क्लेम को निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा एक अपील न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 30–11–2004 द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया, जिस पर पुनः विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31–03–2005 को निर्णय/डिक्री पारित कर वादी का वाद स्वीकार किया गया और प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम निरस्त किया गया, जिससे व्यथित होकर मौजूदा अपीलांट ने एक अपील न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय/डिक्री दिनांक 30–11–2005 को अस्वीकार कर दिया । जिसके विरुद्ध यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

अपील पर अभिभाषकगण उभयपक्ष को सुना गया

अभिभाषक अपीलांट की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई। उक्त मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अभिभाषक अपीलांट ने तर्क दिया कि हाल रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अंतर्गत धारा 53 व 188 इस आशय का प्रस्तुत किया कि किशना दिनांक 11–05–85 को लाऔलाद फौत होने के कारण उसकी भूमि का अंतरण उसकी बेवा मु0 जैती के नाम अंतरित हुआ है। उसके बाद जैती की मृत्यु होने पर परिशिष्ट क व ख में वर्णित भूमि की 1/2 हिस्से की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी सं0 4 के नाम तथा 1/3 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के नाम पर दर्ज हुई और तदनुसार पक्षकारान काबिज हैं। लेकिन प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 वादीगण के कब्जे काश्त में निरन्तर बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः उन्होंने बंटवारा किए जाने का निवेदन किया साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का भी निवेदन किया। मौजूदा अपीलांट/प्रतिवादी ने अपना प्रतिवाद प्रस्तुत कर वादी के कथनों से इन्कार किया, साथ ही काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण हीरा, किशना की वंशावली शाखा में वह एक ही वारिस है, इस कारण उसे 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने का निवेदन किया। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना 1/3 हिस्से बाबत् काउण्टर क्लेम भी पेश किया, साथ ही यह निवेदन किया कि वादी द्वारा वाद में आवश्यक पक्षकार रोडी पुत्री वसा को पक्षकार नहीं बनाया गया है, इस कारण वाद को खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय, वल्लभनगर

द्वारा अपने निर्णय/डिक्री दिनांक 24–05–2004 द्वारा वादी का वाद एवं प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम निरस्त कर दिया। इसके विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा एक अपील न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष की गई, जिसे न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30–11–2004 द्वारा स्वीकार कर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया गया जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा पुनः दिनांक 31–03–2005 को निर्णय/डिक्री पारित कर वादी का वाद स्वीकार किया गया और प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम निरस्त किया गया जिसेस नाराज होकर मौजूदा अपीलांट ने एक अपील न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के यहां प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने विधि विरूद्ध अस्वीकार कर अपने निर्णय/डिक्री दिनांक 30–11–2005 द्वारा अपील निरस्त कर दी गई। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना आक्षेपित निर्णय पारित कर अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष मौजूदा राजस्व अभिलेख, शहादत दस्तावेजी, शहादत जबानी की पूर्णरूप से अनदेखी कर आक्षेपित निर्णय/डिक्री पारित की गई है विचारण एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकियात दावे एवं जवाब दावे के आधार पर पूर्णरूप से न्याय किए जाने हेतु निर्मित नहीं की गई विचारण न्यायालय द्वारा जो अपना निर्णय पारित किया गया उसमें वादी द्वारा अपने वाद को सिद्ध करने हेतु दी गई जबानी एवं दस्तावेज शहादत का कहीं पर भी उल्लेख, विवेचन, मंथन नहीं करके आक्षेपित निर्णय/डिक्री पारित की गई ,जिसे बहाल रखने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कानूनी त्रुटि कारित की है। वादी के समक्ष वादी लाला पुत्र वसा डांगी की दौराने वाद मृत्यु हो गई, जिसका अंकन भी विचारण न्यायालय के निर्णय/डिक्री दिनांक 31–03–2005 में दिए गए उनवान से स्पष्ट होता है परंतु वादी लाला पिता वसा डांगी के वारिसान को वाद कार्यवाही के अंतर्गत शामिल नहीं किया एवं वाद विचारण न्यायालय के दौरान ही अबेटमेंट होने के आधार पर खारिज किए जाने योग्य था। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी बिना किसी विस्तृत कानूनी विवेचन के ही अपीलांट/प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर का निर्णय/ डिक्री दिनांक 31–03–2005 एवं न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–11–2005 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस के तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर आर डी 2015(2) पेज 1221, आर आर डी 2018(1) पेज 534, आर बी जे 2002 पेज 91, आर एल डब्ल्यू (2)पेज 233, आर बी जे 2003 पेज 434, आर आर टी 2020(1) पेज 8, आर आर टी 2020(2) पेज 1200 आदि प्रस्तुत किए गए।

इसके विपरीत अभिभाषक रेस्पोंडेंटस की ओर से तर्क दिया गया कि हीरा को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा गोद पुत्र नहीं माना गया और उसका घोषणा का दावा खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया है। अतः सहायक कलक्टर वल्लभनगर द्वारा सही विवेचन करते हुए हीरा को किशना का दत्तक पुत्र नहीं माना गया है। राजस्व अभिलेखों में हम 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं और 1/2 हिस्से पर ही हमारा कब्जा है। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में इसी बिन्दु पर इसी न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत क्रोस ऑब्जेक्शन को खारिज कर दिया गया, जिसकी उन्होंने कोई अपील पेश नहीं की। अतः पुनः इस न्यायालय में उनके द्वारा अब अपील नहीं की जा सकती है। अंत में तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/डिक्री समवर्ती हैं और समवर्ती निर्णयों में हस्तगत द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अन्त में अपील को सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट की ओर से यह बताया गया है कि हीरा को सक्षम न्यायालय द्वरा गोद पुत्र नहीं माना है और उसकी घोषणा का वाद निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में विस्तृत विवेचना कर हीरा को किशना का दत्तक पुत्र नहीं माना है। राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पो0 1/2 हिस्से के रिकॉर्डेड काश्तकार दर्ज है और 1/2 हिस्से पर उनका कब्जा है। पूर्व में भी इसी बिंदु पर विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत क्रॉस ऑब्जेक्शन खारिज किया गया था जिसकी उन्होंने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। जिससे पुनः उसी बिंदु पर अपीलीय न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती थी। हस्तगत प्रकरण में हाल रेस्पो0 की ओर से परीक्षण न्यायालय में धारा–53 व 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया गया था जिस पर अपीलांट की ओर से काउण्टर क्लेम इस आशय का पेश किया कि परिशिष्ट क में विवादित भूमि पर 1/2 हिस्से की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज है लेकिन चूंकि प्रतिवादी सं0 2 को किशना ने जीवनकाल में गोद ले लिया था और इस आधार पर संपूर्ण भूमि जो वादपत्र परिशिष्ट ''क'' में अंकित है, हीरा की खातेदारी में आयी तथा परिशिष्ट ''ख'' में वर्णित भूमि में उसका 1/2 हिस्सा है। इस पर परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 24–05–2004 निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद आवश्यक पक्षकारों के अभाव में खारिज कर दिया क्योंकि श्रीमति रोडी इस प्रकरण में रिकॉर्डेड खातेदार थी जिसे बंटवारे के दावे में खातेदार नहीं बनाया गया था जबकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम पर परीक्षण न्यायालय ने

यह निर्णय दिया कि प्रतिवादी हीरा को गोदपुत्र नहीं माना है जिससे उक्त काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया। इस निर्णय की अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर यह माना कि परीक्षण न्यायालय ने पक्षकारों के अभाव में दावा को गलत खारिज किया है और गुणावगुण पर निर्णय करते हुए उक्त क्रॉस ऑब्जेक्शन खारिज कर दिया और उस पर परीक्षण न्यायालय ने नए सिरे से कोई निर्णय नहीं दिया, लेकिन प्रतिवादी ने उन्हीं बिंदुओं पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। ऐसी स्थिति में दूसरी अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकती। यदि उन्हें दिनांक 30–11–2004 को पारित किये गये निर्णय से कोई आपत्ति थी तो उसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपील का मुख्य आधार हीरा की दत्तक पुत्र होने के आधार पर दावा में वर्णित परिशिष्ट ''क'' में वर्णित पूरी भूमि पर अकेले हीरा का कब्जा होना है माना है लेकिन इन बिंदुओ पर विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30–11–2004 को अपना विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया जा चुका है। हस्तगत अपील में ऐसा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलीय न्यायालय द्वारा पूर्व में किए गए विवेचन में कोई परिवर्तन किया जा सके। चूंकि सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा दत्तक पुत्र की घोषणा का वाद निरस्त किए जाने के फलस्वरूप मात्र मौखिक साक्ष्यों के आधार पर दत्तक पुत्र नहीं माना जा सकता है। जहां तक अपीलांट का विवादित आराजी पर कब्जे का प्रश्न है, अपीलांट अपना अकेले का कब्जा किसी भी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं करा सका है। चूंकि पूर्व में उनका जिस आधार पर काउण्टर क्लेम निरस्त किया गया था। उन परिस्थितियों में भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील को खारिज किए जाने में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं की है। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने विस्तुत विवेचन के साथ अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है। चूंकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निर्णय हैं जिनमें हम हस्तगत द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की ओर से जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए हैं उनके अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण की विषयवस्तु एवं न्यायिक दृष्टांत की पृष्ठ भूमि भिन्न–भिन्न होने से उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। परिणामस्वरूप हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हस्तगत द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व

अपील / डिक्री / टीए / 199 / 2006 / उदयपुर

अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–11–2005 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य

(आर.डी. मीणा)
सदस्य